राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक :– प.4(121)वित्त–1(1)आय.व्य./2018 जयपुर, दिनांक : 31 मार्च, 2020

स्वीकृति संख्या 402 /2019–20

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खातें में राशि रूपये 1000.00 लाख (अक्षरे रूपये दस करोड़) मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृति में अंकित शर्तो के अनुसार, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खातें में कुल राशि रूपये 1000.00 लाख (अक्षरे रूपये दस करोड़) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें:–

मांग संख्या – 30 राशि रूपये लाखों में

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (केन्द्रीय सहायता)
1.	2225 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 – जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (18) – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाएं [01] – एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन 12 – सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) केन्द्रीय सहायता	क्रमांक–एफ.6/लेखा/सी.टी.ए.डी /प्रस्ताव/275(1)/2019–20 124/2019–20	1000.00

(अक्षरे रूपये दस करोड़)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

भवदीय,

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।